न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

## पीठासीन अधिकारी सी.आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 31/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड, रजिस्टर्ड पताः– 102 कंचन अपार्टमेंट अपोजिट एल.बी.एस. कॉलेज, तिलक नगर, जयपुर तथा शाखा कार्यालय सीकर (राज.)।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

**बनाम**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | किरण पत्नी स्व. सरदार सिंह | कानूनी वारिस स्व. सरदार सिंह सभी कानूनी वारिस उत्तराधिकारी व प्रतिनिधि ऋणी स्व. सरदार सिंह, सभी का पताः–ग्राम जुराठड़ा, तहसील व जिला सीकर, राजस्थान– 332402। | ऋणी |
| 2. | लक्ष्मी पुत्री स्व. सरदार सिंह | | |
| 3. | योगेन्द्र पुत्र स्व. सरदार सिंह | | |
| 4. | हनुमान प्रसाद पुत्र सुरजा राम | पताः– ग्राम जुराठड़ा, तहसील व जिला सीकर, राजस्थान– 332402 | सहऋणी बंधककर्ता |
| 5. | हरलाल पुत्र सुरजा राम | पताः–137, ग्राम जुराठड़ा, तहसील व जिला सीकर, राजस्थान– 332402 | सहऋणी |
| 6. | भवानी सिह निर्वाण पुत्र जगदीश सिंह निर्वाण | पताः– ग्राम जुराठड़ा, तहसील व जिला सीकर, राजस्थान– 332402 | जमानती |

अप्रार्थीगण

**The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.**

**निर्णय**

निर्णय दिनांकः 29 जुलाई, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **महेश शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **किरण, लक्ष्मी, योगेन्द्र, हनुमान प्रसाद, हरलाल, भवानी सिह निर्वाण** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **हनुमान प्रसाद पुत्र सुरजा राम की सम्पति जो कि प्लॉट नम्बर 16, किसान कॉलोनी, ग्राम पलसाना, तहसील दांतरामगढ़, जिला**

स्ट्रेट, सीकर



Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

सीकर राजस्थान में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जिसकी माप 244.37 वर्गगज है। जिसकी चारों सीमाएं पूर्व में आम रास्त 20 फिट, पश्चिम में अन्य भूमि, उत्तर में प्लॉट नम्बर 15, दक्षिण में अन्य प्लॉट स्थित है, को बंधक रखकर 10,00,000/–रूपये (अक्षरे रुपये दस लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 22.03.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री जगदीश प्रसाद खर्रा ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रा. पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने देय किश्तों की रकम का कहीं भी जिक नहीं किया है तथा मनमाने तरीके से ब्याज लगाया है। ऐसे मनमर्जी वसूली पर रोक लगाई जाकर प्रार्थी वित्तीय संस्था के विरूद्व कार्यवाही किया जाना चाहिए तथा साथ ही शेष राशि की अदायगी के लिए अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की विकट हालातों को मध्य नजर रखते हुए वसूली किया जाना न्यायोचित नहीं होगा अन्यथा अप्रार्थीगण बर्बाद हो जायेगें।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 22.03.2019 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी को डाक वितरण (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण किरण, लक्ष्मी, योगेन्द्र, हनुमान प्रसाद, हरलाल, भवानी सिह निर्वाण की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक हनुमान प्रसाद पुत्र सुरजा राम की सम्पति जो कि प्लॉट नम्बर 16, किसान कॉलोनी, ग्राम पलसाना, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर राजस्थान में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जिसकी माप 244.37 वर्गगज है। जिसकी चारों सीमाएं पूर्व में आम रास्त 20 फिट, पश्चिम में अन्य भूमि, उत्तर में प्लॉट नम्बर 15, दक्षिण में अन्य प्लॉट स्थित है,



मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक: 29 जुलाई, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner